Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला–अलवर

अनिल .... बनाम चेतराम वगै. ....

प्रकरण सं. 11/4/25 .... **तारीख रजू** 15.1.25 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
15.1.25	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की ओर दावा मय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्ट्रर्ड डाक सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 29.1.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़(अलवर)	
29.1.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी उपस्थित। तरमीमी प्रतिवादी संख्या 2 मोतराम से श्री मैं. अनीश खाँ [illegible] वकालतनामा पेश किया। तरमीमी प्रतिवादी संख्या 2 जवाब हेतु शेष रहे वास्ते तलबी आइंदा दिनांक 12.2.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
12.2.25	पत्रावली पेश। P.O. साहब [illegible] अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 5/3/25 को पेश हो। रीडर	
5.3.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा तिमाही रिपोर्ट पेश की पत्रावली वास्ते तलबी नोट। तरमीमी प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब हेतु आइंदा दिनांक 24.3.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम जारी हुआ
20.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से प्रतिवादी संख्या 1,3 लगायत 8 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 1,2 की तलबी में विचाराधीन है। तलबी हेतु अनेक अवसर दिया जा चुका है तथा अंतिम अवसर के रूप में अवसर दिया जा चुका है। इसके उपरांत भी उक्त प्रतिवादीगण की तामिल नहीं करायी गयी है और ना तलबी हेतु पुन: तलबाना पेश किया गया। अत: दावा तलबी, तलबाना के अभाव में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **गोविन्दगढ (अलवर) राज०**	